भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 381

बुधवार, 6 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु बजटीय आवंटन

381. श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंधुआ मजदूर पुनर्वास संबंधी केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सी.एस.एस.), 2016 के तहत, बंधुआ मजदूरी से पीड़ित श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ख) 2016 से बंधुआ मजदूर पुनर्वास हेतु सी.एस.एस. 2016 के तहत पीड़ित श्रमिकों के लिए वर्ष-वार कितना-कितना बजट व्यय किया गया है; और

(ग) ऐसे कितने राज्य हैं, जो इस योजना के प्रावधानों के अनुसार बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु अपने-अपने जिलों को 10,00,000 रुपये का कोष उपलब्ध करवा रहे हैं और वर्ष 2016 से राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): पिछले दो वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष 2018-19 (12/2018 तक) के दौरान 'बंधुआ मंजदूर का पुनर्वास' के संबंध में आवंटित बजट तथा खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2016-17	500	300	260.70
2017-18	1000	812	787.75
2018-19	1000	850	319.25

(ग): ऐसा कोई डाटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

******